

राजस्थान - सरकार
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी - मनोज. आर.एस.

मुकदमा संख्या- 59/24 प्रा०फा

1- श्री सतीश शंभू निठवा मुर्जर निवारी- साबा कारपोडा तहसील माण्डल - प्रार्थी

बनाम

1- श्री लाडू शंभू निठवा मुर्जर निवारी- कोचरिया तहसील - माण्डल [संगै]
 (संबंधित प्रकरण) विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा मू. अघि 1956

दिनांक - 21/5/24


: आदेश :

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा मू. अघि 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोचरिया पटवार हल्का भेजा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 140/4, 929/140 कुल कित्ता 02 रकबा 0-7588 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मूलादायिका के सीमा चिन्ह नही होने से आवे दिनर सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 13/03/24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनाथ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। ऐसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार योग्य है।


: आदेश :

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा मू. अघि 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कोचरिया पटवार हल्का भेजा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 140/4, 929/140 कुल कित्ता 02 रकबा 0-7588 हेक्टेयर भूमि के खाते तरफ सीमा की पुष्टता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक भेजा को 500 रुपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर प्लकटान् की मौजुदगी में मोके व कब्जे की यस्थास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी लही की जावे।


 उपखण्ड अधिकारी



प्रतिलिपि- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


 उपखण्ड अधिकारी
 माण्डल